न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./1076/2002/पाली

धीमाराम पुत्र लूम्बाराम जाति बिश्नोई निवासी माण्डावास तहसील रोहट जिला पाली।

..अपीलार्थी

बनाम

1– कालू पुत्र लूम्बाराम जाति बिश्नोई निवासी माण्डावास तहसील रोहट जिला पाली।

2– शाखा मारवाड़ ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, माण्डावास तहसील रोहट जिला पाली।

...प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष

श्री सूरज भान जैमन, सदस्य

उपस्थितः

श्री योगेन्द्र सिंह अधिवक्ता, अपीलार्थी।

प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक : 03 अप्रेल, 2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 95/2001 में पारित निर्णय दिनांक 24–01–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पाली के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

1955 विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम माण्डावास में खसरा नंबर 266 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा नंबर 259/3/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय स्थित है। खसरानंबर 259/3/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा बाबत् प्रतिवादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा वादी को बिना सूचना दिये प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के यहां ऋण राशि प्राप्त करने के लिए रहन रख दी तथा रूपयों का उपयोग बिना कृषि में लिया गया। वादी का यह भी कथन है कि खसरा नंबर 266 की भूमि के आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की गई तब प्रतिवादी को वादी ने आर्थिक सहायता दी एवं अन्य सामाजिक अवसरों पर भी प्रतिवादी को मदद देता रहा था। इस कारण वादी एवं प्रतिवादी के बीच उक्त लेनदेन के कारण झगड़ा होने लगा। वर्ष 1983 में पुलिस केस के जरिये वादी का कब्जा छुड़ाने की कार्यवाही की गई इस कारण अपीलार्थी/ वादी ने प्रत्यर्थी/ प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद पेश किया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में बताया कि वादी का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, वादी द्वारा आर्थिक सहायता देने का कथन भी गलत है तथा फौजदारी प्रकरण चलने का कथन भी गलत है। जाति पंचायत होने का कथन भी गलत बताया एवं 4500/– रूपये प्राप्त कर भूमि की रजिस्ट्री करने में भी सहमत नहीं होना बताया। वादी द्वारा झूठी पुलिस कार्यवाही करने का भी कथन भी पेश किया तथा वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने का निवेदन किया। प्रतिवादी ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार भूमिधारी को पक्षकार नहीं बनाये जाने से भी यह प्रकरण खारिज योग्य है। परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, पाली ने दोनों पक्षों को साक्ष्य सबूत का अवसर देकर तथा उनकी बहस सुनकर तनकीवार अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29–9–2001 द्वारा वाद वादी अपीलार्थी स्वीकार किया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रत्यर्थी कालू ने अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–01–2002 द्वारा अपील अपीलार्थी स्वीकार की। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील–मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 266 रकबा 15 बीघा पर अपीलार्थी/वादी का प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध कब्जा प्रमाणित था और

इस बिन्दु पर तनकी नंबर–1 कायम की गई थी जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी के पक्ष में साक्ष्य सबूत के आधार पर विश्लेक्षण करते हुए तय किया था, के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने Appreciation of evidence साक्ष्य के विपरीत किया है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष दी गई साक्ष्य में यह स्पष्ट था कि अपीलार्थी/वादी का कब्जा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की पूरी जानकारी में रहते हुए 12 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है। तीसरी तरफ अपीलार्थी/वादी के द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के लिए इस भूमि की कीमत के बतौर राशि भी दी गई थी, जो कि साक्ष्य से प्रमाणित हुई थी और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके थे इसलिए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य व कानून के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5– प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी नंबर–1 के विषय में साक्ष्य का गलत तौर पर विश्लेक्षण किया गया है। इस भूमि पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का ही कब्जा चला आ रहा था, जो कि गवाहान द्वारा स्पष्ट व्यक्त किया गया था परन्तु साक्ष्य का गलत अर्थ लगाते हुए और यह कहते हुए कि अड़ौसी पड़ौसी काश्तकार के बयान नहीं कराये हैं, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का कब्जा नहीं होना मानने में कानूनी भूल की थी, जो कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण करके इस तथ्य को और इसके कानूनी प्रभाव को विश्लेक्षित किया है और परीक्षण न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने यह तर्क भी दिया कि मुखालफाना कब्जे के आधार पर किसी को भी खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते इसलिए भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून सम्मत एवं औचित्यपूर्ण है। अतः अपील खारिज की जाए।

6– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे हम पाते हैं कि परीक्षण न्यायालय में अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे में यह अंकित किया गया है कि खसरा नंबर 266 के भू–आवंटन को निरस्त कराने की कार्यवाही नियम 14(4) के अन्तर्गत वर्ष 1980 में कराई गई थी। उक्त कार्यवाही में अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को आर्थिक सहायता दी गई थी इसलिए वादी के द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी से कर्जे की राशि मांगे जाने पर अपीलार्थी/वादी से विवादित भूमि छुड़ा लिये जाने की धमकी दी जबकि अपीलार्थी/वादी अर्से–दराज से इन भूमियों पर काबिज चला आ रहा है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी झगड़ा करता है और वादी एडवर्स पज़ेशन से

खातेदार हो चुका है। जवाबदावे में दावे के तथ्यों से इन्कार तो किया गया ही था बल्कि गवाहान प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से बयान इत्यादि प्रस्तुत हुए थे और वादी द्वारा मुखालफाना कब्जे के आधार पर स्वयं के नाम खातेदारी की घोषणा एवं प्रतिवादी को पाबंद कराने की घोषणा चाही गई थी, के संबंध में परीक्षण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात पर किया गया विश्लेक्षण तथ्यों के विपरीत होकर कानून सम्मत नहीं है, जैसा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उनके निर्णय में विश्लेक्षित किया है, कि वाद पत्र में अपीलार्थी/वादी द्वारा किया गया अभिकथन की पुष्टि प्रस्तुत साक्ष्य से नहीं होती है इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती।

7– विधि का यह सर्वमान्य प्रतिपादित सिद्धान्त है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार उद्भूत होने के लिए मुखालफाना कब्जे का कोई प्रावधान नहीं है एवं अपीलार्थी/वादी ने अपने दावे में इसी आधार को मुख्य रूप से संयोजित किया था। दूसरी तरफ गवाहान इत्यादि के बयान एवं अभिलेख से भी निर्विवादित रूप से उसका कब्जा विवादित भूमि पर नहीं माना जा सकता क्योंकि इस भूमि का अभिलिखित खातेदार काश्तकार प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ही रहा है ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं राजस्व अभिलेख का गलत विश्लेक्षण करते हुए निर्णय पारित किया गया है जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सही तौर पर गलत होना मानने में कोई कानूनी भूल नहीं की है। अतः द्वितीय अपील में उठाये गये आक्षेपात सारहीन होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

8– परिणामतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (मु0), पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–9–2001 अपास्त करते हुए, न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–01–2002 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूरज भान जैमन)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष